आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
19/05/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 36/2014** **हरिचरण दास एवं उर्मिला देवी बनाम् महादेव उराँव एवं संजय तिग्गा** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील संख्या–43-R15/2010-11 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। मूलतः एस0 ए0 आर0 वाद संख्या–288/2008 में विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा भूमि वापसी का दावा खारिज कर दिया गया था। इसके पश्चात् अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को रद्द करते हुये भूमि वापसी हेतु आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया है। यह वाद सुनवाई हेतु अभी तक अंगीकृत नहीं किया जा सका है। आवेदक द्वारा दिनांक–04.12.2017 को अंतिम हाजिरी दी गयी, जिसके पश्चात् से यह न्यायालय से अनुपस्थित है। उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक–06.01.2022, 17.01.2022, 14.03.2022, 02.05.2022 को लगातार मौके दिये गये, किन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। स्पष्टतः आवेदक को इस वाद के निष्पादन में कोई अभिरूचि नहीं है। अतः उपलब्ध कागजातों के आधार पर वाद को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त न्यायालय के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्लॉट–973, खाता–182, ग्राम–अरगोड़ा में अवस्थित 18.05 कट्ठा तथा 04 कट्ठा भूमि के वापसी हेतु दावा किया गया था। आवेदकों का मुख्य दावा भूमि के छप्परबंदी होने एवं रेस–जूड़ीकांटा से प्रभावित होने के आधार पर था। उपायुक्त द्वारा इन दोनों बिन्दुओं पर अपने आदेश में विस्तृत विवेचना की गयी है। यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थियों के द्वारा प्रश्नगत् भूमि जय भवानी सहकारी समिति से क्रय की गयी थी, जिनके द्वारा उक्त भूमि को छप्परबंदी कहते हुये बिक्री की गयी। अपीलीय न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट निष्कर्ष दिया	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख स
	गया है कि घोटा उरांव की मृत्यु 1974 में हो चुकी थी, पुनः उनके नाम पर भूमि वापसी वाद संख्या–69/1992–93 दायर होने एवं उक्त वाद के खारिज होना स्पष्टतः एक जालसाजी की कार्रवाई है। प्रश्नगत् भूमि खतियानी आदिवासी भूमि है तथा खतियान में अथवा रजिस्टर–II में उक्त भूमि के छप्परबंदी होने के बिन्दु पर कोई उल्लेख नहीं है। स्पष्टतः उक्त भूमि की किसी सहकारी गृह निर्माण समिति को की गयी बिक्री एवं उक्त गृह निर्माण समिति द्वारा आवेदकों के साथ की गयी बिक्री पूर्णतः अवैधानिक है। सर्वे खतियान में छेड़छाड़ करते हुये छप्परबंदी लगान 05 रुपये का किये जाने का उल्लेख भी स्पष्ट रूप से अपीलीय न्यायालय के आदेश में अंकित है। विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा छप्परबंदी खतियान के आधार पर इस वाद को खारिज किया गया था, किन्तु खतियान में छेड़छाड़ कर यह इन्द्राज किये गये है, जिसकी पुष्टि रजिस्टर–II से नहीं होती है। ऐसी स्थिति में यह विषय पूर्णतः धारा–71 ए के प्रावधानों से आच्छादित है तथा यह भूमि वापसी योग्य है। आवेदकों के द्वारा अभी तक इस न्यायालय में कोई भी साक्ष्य अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। विगत् 07 वर्षों से अपीलार्थियों के अनुपस्थिति के कारण अभी तक सुनवाई हेतु इस वाद को अंगीकृत भी नहीं किया गया है। अतः इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। आदेश की एक प्रति उपायुक्त, राँची को प्रेषित करें। लेखापित एवं संशोधित Wkulkarni 19/7/22 प्रमण्डलीय आयुक्त Wkulkarni 19/7/22 प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.21 16:51:29 +05:30
Location: 192.168.1.40